न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 112/2021

उनवान

1. रामप्रताप
2. रामकुंवार पि0 सुगना जाति जाट निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 30.11.22

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा की निम्न आराजी वादीगण की पुश्तैनी नियमनशुदा है :–

वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3959	3–15–0	349	0.61

वर्किंग खसरा नम्बर 3959 रकबा 3–15–0 की आराजी का आवंटन दिनांक 30.07.2022 को हरि पत्नी सुगना व रामप्रताप, रामकुंवार पि0 सुगना के नाम किया गया। हरि पत्नी सुगना की मृत्यु हो गयी है। जिसके वारिस वादीगण ही है। आवंटन दिनांक से वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण व उनकी माता के नाम आराजी मुतनाजा नामान्तकरण संख्या 648 से खातेदारी दर्ज की गयी किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा को बिना किसी कारण सिवायचक दर्ज कर दी अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया [illegible] खसरा नम्बर बंदोबस्त विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज किया गया है। [illegible] आपत्ति पेश नही की है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक होने के कारण [illegible] खारिज किया जावे। प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:40:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण का विधिवत नियमन शुदा है ?

— — वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

— — वादीगण

3. आया वादग्रस्त आराजी सिवायचक होने से वाद खारिज योग्य है ?

— — प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में वादी रामकुंवार के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख व नियमन आदेश पेश किया।

राज0 पेशकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे एवं साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पेशकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत है :—

तनकी संख्या 1 व 2 :—

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम लोहरवाडा के वंकिंग खसरा नम्बर 3959 रकबा 3—15—0 की आराजी वादीगण व उनकी माता हरि पत्नी सुगना का कैम्प लोहरवाडा में नियमन हुयी थी। जिसका आदेश संख्या 69 दिनांक 16.07.2002 को जारी किया गया। राज्य सरकार द्वारा भू संशोधन की मान्यता समाप्त करने के बाद अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिए परिपत्र जारी किया गया। आवंटन समिति की बैठक में अतिक्रमण व नियमन के प्रकरणों का परीक्षण करके राजस्थान भू राजस्व कृषि हेतु भू आवंटन नियम 1970 के नियम 20 क के अन्तर्गत (जो अजमेर जिले के भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये जोडी गयी) नियमन की सिफारिश करने से वादीगण व उनकी माता को उक्त आराजी नियमन करने के आदेश अन्य व्यक्तियों के साथ जारी किये गये। जिसकी क्रम संख्या 33 में वादीगण व उनकी माता का आराजी मुतनाजा नियमन किये जाने के आदेश जारी है। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा वादीगण व उनकी माता के पक्ष में आराजी मुतनाजा के नियमन का नामान्तरकरण संख्या 648 दिनांक 15.08.2002 को भरा गया जो दिनांक 23.08.2002 को स्वीकार किया गया। तत्कालीन वंकिंग जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण आदेश की पालना में वादीगण व उनकी माता को आराजी मुतनाजा का खातेदार भी दर्ज कर दिया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत 2057—60 के अनुसार वंकिंग खसरा नम्बर 3959 रकबा 03—15—0 वादीगण व उनकी माता का नियमन हुआ। वादीगण की माता की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये लिये राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया जिसके अनुसार [illegible] दर्ज है तथा वंकिंग जमाबंदी में आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गयी [illegible] संशोधन खातेदार के नाम [illegible] मुतनाजा नियमन की जावे। उक्त आदेश के [illegible] सिवायचक दर्ज है। नियमन की गयी। उक्त आराजी के [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:40:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

— —3

बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। वादीगण को उक्त आराजी विशेष राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से नियमन की गयी थी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिससे बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी में से हटायी है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण हाल खसरा नम्बर 349 रकबा 0.61 पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा विधिवत नियमन होना व वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होना सिद्व होता है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादीगण की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादीगण का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के नियमन व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। वादीगण को हुआ नियमन किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। साथ ही राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। अतः तनकी संख्या 3 विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादीगण को ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 349 रकबा 0.61 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 30/11/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:40:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमा इबताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामप्रताप बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत 88 188 राज का अधि0 1955 व 136 भू राज अधि 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 112 / 2021
पेश करने की दिनांक - 02.09.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अशुल आमेरिया (आर ए एस)– व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादीगण को ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 349 रकबा 0.61 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वय वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमे में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनाक 30 माह 11 सन 2022 को जारी की गयी।

मुदायला

मुददई

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:40:18 IST
Reason: SelfAttested